फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उमकुंवर | विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अ. | पत्रावली संख्या : 33/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 08.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प भीमल में पेश हुई। अधिवक्ता वादीयां मय वादीयां उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश किया, शा. फा. रहे। अधिवक्ता वादीया व राजपेरोकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीया व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 956 वर्तमान में भंवरसिंह पिता मानसिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। वर्तमान में भंवरसिंह पिता मानसिंह का देहान्त हो चुका हैं। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् भंवरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2012 से श्रीमती उमकुंवर पत्नी गमेरसिंह के पक्ष में आराजी नम्बर 956 में से अपना 1/4 हिस्सा वसीयत करना जाहिर होता है परन्तु भंवरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा नहीं होकर 1/8 हिस्सा ही दर्ज हैं, जिस कारण उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादीयां द्वारा भंवरसिंह के नाम दर्ज 1/8 हिस्से को अपने नाम घोषणा कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश कर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। वादीयां द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः वादीयां वादग्रस्त भूमि की घोषणा कराने की अधिकारिणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: **आदेश** ::

परिणामस्वरूप वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 956 किता 1 रकबा 0.7527 हेक्टेयर भूमि में से रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.01.2012 के आधार पर खातेदार भंवरसिंह पिता मानसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली हिस्सा 1/8 के बजाय उमकुंवर पत्नी गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) **मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:38:24 IST
Reason: SelfAttested

''प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023''

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 33/22 (वाद) GCMS No. : 2022/74

उनवान

1. श्रीमती उमकुंवर पत्नी गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली।

........वादीयां

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 956 किता 1 रकबा 0.7527 हेक्टेयर भूमि में से रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 02.01.2012 के आधार पर खातेदार भंवरसिंह पिता मानसिंह चुण्डावत राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली हिस्सा 1/8 के बजाय उमकुंवर पत्नी गमेरसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी तह. मावली को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 13:58:24 IST
Reason: SelfAttested